जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांकः– ज.वि.प्रा. / अति.मु.न.नि. / बी.पी.सी.(बीपी) / 2024 / डी– 177 दिनांकः– 29/01/2024

(भवन निर्माण स्वीकृति पत्र)

श्री विनय चौरडिया,
निदेशक,
मैसर्स चौरडिया बिल्डकॉन प्रा.लि.,
61, संग्राम कॉलोनी, सी–स्कीम, जयपुर।

विषयः– भूखण्ड संख्या जी.एच.–4, इन्द्रप्रस्थ, चौरडिया सिटी, अजमेर रोड, जयपुर के आवासीय (फ्लैट्स) प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण भवन मानचित्र समिति (बीपी) की 259वीं बैठक दिनांक 10.06.2022 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें लिये गये निर्णयानुसार भवन निर्माण स्वीकृति निम्नानुसार जारी की जाती हैः–

1.	भूखण्ड का क्षेत्रफल	4479.03 व.मी.	
2.	भूखण्ड के सामने सड़क की चौडाई	24 मीटर	
3.	लीजडीड जारी दिनांक	11.09.2012	**भू–उपयोगः–** आवासीय प्रयोजनार्थ
4.	पुर्नगठित / एकल पट्टा / उप विभाजन	एकल पट्टा	
5.	प्रस्तावित भवन मानचित्रों का प्रयोजन	आवासीय (फ्लैट्स) प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	
6.	वास्तुविद का नाम एवं पंजीयन क्रमांक	श्री श्रीकृष्ण, सी.ए. / 99 / 25451	

अनुमोदित मानदण्डः–

1.	भवन मानचित्र अनुज्ञा अवधि	भवन मानचित्र अनुज्ञा अवधि मानचित्र जारी होने की दिनांक से 7 वर्ष अर्थात **दिनांक 23.01.2031 तक** प्रभावी है।				
2.	सैटबैक	सामने–I	पार्श्व–I	पार्श्व–II	पीछे	
		15.24 मीटर	9.14 मी.	9.14 मी.	9.14 मी.	
3.	सकल निर्मित क्षेत्रफल	25,010.38 व.मी.				
4.	बी.ए.आर.	4.24 (19,017.89 व.मी.)				
5.	आच्छादित क्षेत्रफल	30.39 प्रतिशत (1361.28 व.मी.)				
6.	ऊँचाई	0.45 मी. (प्लिन्थ) + 3.50 मी. (स्टिल्ट) + 36 मीटर (भूतल + 11 तल) + 6 मी. (ममटी / मशीन रूम) = कुल 45.95 मीटर				
7.	तलों की संख्या	(बेसमेन्ट + स्टिल्ट + भूतल + 11 तल)				
8.	पार्किंग	कार		स्कूटर	बस	कुल ईसीयू
		सरफेस	मैकेनिकल			
		155	–	94	–	186.33

तथ्यः–

1.	प्रथम अनुमोदन / संशोधन	प्रथम अनुमोदन
2.	समिति की बैठक संख्या एवं दिनांक	259वीं बैठक दिनांक 10.06.2022

अनापत्ति प्रमाण पत्रः–

1.	अग्निशमन विभाग	अधिवास प्रमाण पत्र आवेदन के समय प्रस्तुत की जानी है।
2.	पर्यावरण विभाग का Consent to operate	अधिवास प्रमाण पत्र आवेदन के समय प्रस्तुत की जानी है।
3.	भारतीय नागरिक उड्डयन विभाग	Airport NOC दिनांक 20.11.2023 के अनुसार 70 मीटर ऊँचाई अनुज्ञेय है, साईट कॉर्डिनेट्स निम्नानुसार हैः–

26 53 09.04 N	75 42 37.27 E
26 53 07.52 N	75 42 37.87 E
26 53 08.33 N	75 42 41.13 E
26 53 10.01 N	75 42 41.36 E
26 53 09.45 N	75 42 42.33 E

सामान्य शर्तेः–

1. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आप उपायुक्त जोन–07, प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेगे।
2. स्वीकृत मानचित्र मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होगें।
3. निर्माण स्थल पर स्वीकृति का विवरण अर्थात अनुमोदित मानचित्र, उपलब्ध पार्किंग की सूचना एवं भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) का नक्शा भी प्रदर्शित (Display) उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जावें।

4. भवन का उपयोग प्रांरभ होने पर एक केयर टेकर की नियुक्ति की जावें जिसके पास भवन का मानचित्र, सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) उपलब्ध रहें। इस प्रकार नियुक्त केयर टेकर के मोबाईल नंबर एवं Land Line Number भी लिये जाकर पुलिस आयुक्त जयपुर महानगर व उपायुक्त जोन को सूचना उपलब्ध करवाई जावें ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किये जा सकें।
5. विकासकर्ता द्वारा भवन के परिसर को स्वीकृत मानचित्र में दर्शित/निर्धारित अनुसार ही उपयोग में लिया जावेगा।
6. भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 10.3.2(x) के अनुसार भवन में अपेक्षित सेवाओ यथा प्रस्तावित जल वितरण प्रणाली, जल मल निकासी प्रणाली, विद्युत सेवाऐं, वातानुकूल सेवाऐं आदि से संबंधित मानचित्रों के दो सैट जो कि आवेदित परियोजना की डिजाईन व निर्माण की क्रियान्विति हेतु अनुबंधित किये गये काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट एवं परियोजना के स्ट्रक्चरल इंजीनियर से ही प्रमाणित किये हुये, अधिकतम 90 दिवस की अवधि में उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक होगा।
7. प्रकरण बहुमंजिला भवन होने के कारण भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 10.3.2(xi) के अनुसार आप द्वारा भवन में अग्निशमन संबंधित प्रावधान एन.बी.सी. के अनुसार रखे जाने आवश्यक होंगे जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। भवन निर्माण पूर्ण हो जाने के पश्चात अधिवास प्रमाण–पत्र जारी करने से पूर्व अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. परियोजना में भूखण्ड के क्षेत्रफल, प्रस्तावित सकल निर्मित क्षेत्रफल एवं ऊँचाई अनुसार भवन विनियम 2020 से संबंधित प्रावधान संख्या 10.11 (पर्यावरण संरक्षण हेतु नियम), नियम 10.11.1 (वर्षा जल संग्रहण), 10.11.2 व नविवि के आदेश दिनांक 07.09.2021 (अपशिष्ट जल का शुद्धिकरण एवं रिसाईकिलींग हेतु प्रावधानों की अनुपालना) 10.11.3 (पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण), 10.11.4 (सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल), 10.11.5 (सौर ऊर्जा संयत्र), 10.11.2.5 व 16. 3 (सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट), 12.1 (पार्किंग क्षेत्र की पालना), 12.3 (विद्युत आवश्यक की पूर्ति हेतु संबंधित विद्युत वितरण एजेन्सी के प्रावधान), विनियम संख्या 15 (निर्माण कार्य के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया), नियम संख्या 15.5 (भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण) के प्रावधानों की अनुपालना की जानी होगी।
9. भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 12.1.4 (अ) के अनुसार आवश्यक पार्किंग का 10 प्रतिशत EV Charging Facility के प्रावधान की मौके पर सुनिश्चितता की जावेंगी।
10. भवन में RPWD Act 2016, UNCRPD Act 2006 एवं प्रचलित भवन विनियम में विनिर्दिष्ट धाराओं के अनुसार विशेष योग्यजनों के लिए आवश्यक मापदण्ड/सुविधाओं/साईन बोर्ड/दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
11. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 14.12.2022 के अनुसार भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 12.4 के अनुसार भवन में Common Telecom Infrastrcture (CTI) के प्रावधान की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
12. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 10.08.2023 के अनुसार भूखण्ड से लगती हुई सम्पूर्ण सभी सडकों का विकास, फुटपाथ एवं वृक्षारोपण का प्रावधान स्वयं के व्यय पर सुनिश्चित किया जाना होगा।
13. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 10.08.2023 के अनुसार भवन में प्रत्येक लिफ्ट में ए. आर.डी. (Automatic Rescue Device) सिस्टम का प्रावधान रखा जाना होगा।
14. आकाशीय बिजली से बचाव हेतु भवन में Thunder stick (तडित चालक) का प्रावधान रखा जाना अनिवार्य होगा।
15. भवन परिसर में आगतुकों की पार्किंग उपलब्ध करवाई जाए तथा आगंतुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।
16. निर्मित भवन के प्रवेश द्वार के पास भवन में अनुमोदित व उपलब्ध चार पहिया व दो पहिया वाहनों के पार्किंग की सूचना का बोर्ड (डिस्पले) लगवाया जावें।
17. भवन विनियम 2020 के विनियम संख्या 18.3 की अनुपालना में "गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।"
18. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लंबित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगें।
19. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पडे या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
20. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घन्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण–पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
21. भवन मानचित्र इस शर्त के साथ जारी किये जाते है कि आप द्वारा परियोजना के अधिवास प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ पर्यावरण विभाग का Consent to operate एवं अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र नगरीय निकाय में जमा कराना होगा, उसके पश्चात ही अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
22. भवन मानचित्र इस शर्त के साथ जारी किये जाते है कि आप द्वारा परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने के पश्चात नियमानुसार पूर्णता एवं अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक हैं।
23. प्रस्तावित परियोजना की ऊँचाई 30 मीटर से अधिक हैं। अतः अनुमोदित भवन मानचित्र जारी किये जाने के पश्चात 90 दिवस की अवधि में संरचनात्मक सुरक्षा के उपायों से संबंधित समस्त दस्तावेजों मय स्ट्रक्चरल डिजाईन मानचित्रों

को राजकीय स्तर के संस्थानों यथा आईआईटी/एनआईटी/राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा अथवा विनियम–19 व 20 के अनुसार पंजीकृत तकनीकीविज्ञ से प्रमाणित करवाकर आवश्यक रूप से नगरीय निकाय में प्रस्तुत की जानी होगी।

24. परियोजना में आग से बचाव हेतु भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 10.3.2 के अनुसार क्षरण क्षेत्र सातवें तल पर Refuge area 188.55 व.मी. प्रस्तावित किया गया हैं उसको अन्य उपयोग अथवा कमरों में शामिल नहीं किया गया जावेंगा।
25. प्रकरण आवासीय प्रयोजनार्थ राजस्थान रियल एस्टेट (डवलपमेन्ट एण्ड रेगूलेशन) एक्ट एवं रूल्स 2017 से संबंधित नियमों की पालना विकासकर्ता के स्तर पर सुनिश्चित की जानी होगी।
26. आप द्वारा लेबर सेस की प्रति वर्ष शेष राशि स्वयं के स्तर पर लेबर विभागं में जमा करवाई जानी होगी।
27. यह भवन निर्माण स्वीकृति स्वामित्व का दस्तावेज नहीं हैं।

विशेष शर्तेः–

1. प्रकरण में नविवि के आदेश दिनांक 30.09.2023 के अनुसार भवन निर्माण अवधि दिनांक 31.03.2024 तक देय होगी।
2. यह भवन मानचित्र अनुज्ञा अवधि मानचित्र जारी होने की दिनांक से 7 वर्ष अर्थात दिनांक 23.01.2031 तक प्रभावी हैं।
3. यह भवन निर्माण स्वीकृति आप द्वारा मांग राशि जमा होने एवं बेटरमेन्ट लेवी हेतु निम्नानुसार पांच उत्तर दिनांकित चैक प्रस्तुत किये जाने के आधार पर दी जा रही हैः–

बैंक का नाम	चैक संख्या	राशि	किश्त	दिनांक
YES BANK	918731	48,28,719/–	द्वितीय किश्त	27.04.2024
	918733	48,28,719/–	तृतीय किश्त	27.01.2025
	918734	48,28,719/–	चतुर्थ किश्त	27.10.2025
	918735	48,28,719/–	पंचम किश्त	27.07.2026

यदि आप द्वारा प्रस्तुत उत्तर दिनांकित चैक अनादरित (Dishonor) होते हैं तो नियमानुसार ब्याज देय होगा एवं आप द्वारा बेटरमेन्ट लेवी राशि जमा नहीं करवायें जाने पर भवन निर्माण स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेंगी। भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 276वीं बैठक दिनांक 11.08.2023 में लिये गये नीतिगत निर्णयानुसार उत्तर दिनांकित चैक अनादरित (Dishonor) होने पर भविष्य में आपकी किसी भी अन्य परियोजना का जविप्रा द्वारा अनुमोदन नहीं किया जावेंगा तथा मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन) द्वारा जविप्रा एक्ट की धारा 32, 33, 34ए एवं अन्य संबंधित धाराओं के प्रावधानानुसार उक्त परियोजना का कार्य को मौके पर रूकवाने हेतु सूचित किया जाकर प्रवर्तन शाखा द्वारा भवन को सीज करने की अविलम्ब कार्यवाही की जावेगी।

संलग्नः– मानचित्रों की प्रति का 1 सेट (14 मानचित्र)

भवदीय,
29/1/24

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मुख्य नियन्त्रक (प्रर्वतन), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (14 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. उपायुक्त, जोन–07, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (14 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. प्रबंध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0, विद्युत भवन जनपथ, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
4. मुख्य अभियन्ता, मुख्यालय जन स्वाथ्य अभियांत्रिकी विभाग हसनपुरा रोड, रेल्वे हॉस्पीटल के पास, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
5. उपायुक्त राजस्व–प्रथम, नगर निगम, जयपुर को पत्र क्रमांक एफ. 6()/उपा. रा (प्रथम)/जननि/2019/18 दिनांक 08.03.2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित हैं।
6. श्री विष्णु मोहन झा, चीफ एयरपोर्ट अधिकारी, जयपुर इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

YES Prosperity BUSINESS

VALID FOR THREE MONTHS FROM THE DATE OF ISSUE

YES BANK Ltd., O-19A, GROUND FLOOR, ASHOK MARG,
C-SCHEME, JAIPUR 302001
IFS CODE : YESB0000024

27042024
D D M M Y Y Y Y

Payable At Par At All Branches of YES BANK Ltd.

Pay Secretary JDA Jaipur. ~~or Bearer~~

या धारक को

Rupees रुपये Forty Eight Lakh Twenty Eight Thousand Seven hundred Nineteen only अदा करें ₹ 4828719/-

Paisa

CURRENT

A/c No. खाता क्र. 002482100000029

A/C

YES BANK

For CHORDIA BUILDCON PRIVATE LIMITED

Vinay Chordia

Authorised Signatories

Please sign above

UTILITY FORMS PVT. LTD. / CTS - 2010

⑈918731⑈ 302532002⑆ 000070⑈ 29

UTILITY FORMS PVT. LTD. / CTS - 2010

YES Prosperity BUSINESS

VALID FOR THREE MONTHS FROM THE DATE OF ISSUE

YES BANK Ltd., O-19A, GROUND FLOOR, ASHOK MARG,
C-SCHEME, JAIPUR 302001
IFS CODE : YESB0000024

Payable At Par At All Branches of YES BANK Ltd.

Date: 27012025 (D D M M Y Y Y Y)

Pay Secretary JDA Jaipur ~~or Bearer~~ या धारक को

Rupees रुपये forty Eight Lakh Twenty Eight Thousand seven hundred nineteen only अदा करें

₹ 4828719/-   Paisa

CURRENT

A/c No. खाता क्र. 002482100000029

YES BANK

For CHORDIA BUILDCON PRIVATE LIMITED

Vinay Chordia

Authorised Signatories

Please sign above

⑈918733⑈ 302532002⑆ 000070⑈ 29

YES Prosperity BUSINESS

VALID FOR THREE MONTHS FROM THE DATE OF ISSUE

YES BANK Ltd., O-19A, GROUND FLOOR, ASHOK MARG,
C-SCHEME, JAIPUR 302001
IFS CODE : YESB0000024

Payable At Par At All Branches of YES Bank Ltd.

27102025
D D M M Y Y Y Y

Pay Secretary JDA Jaipur

~~or Bearer~~
या धारक को

Rupees रुपये Forty Eight Lakh Twenty Eight Thousand Seven hundred Nineteen only अदा करें

₹ 4828719/-

Paisa

CURRENT
A/c No. खाता क्र. 002482100000029

A/c

YES BANK

For CHORDIA BUILDCON PRIVATE LIMITED

Vinay Chordia

Authorised Signatories
Please sign above

UTILITY FORMS PVT. LTD. / CTS - 2010

⑈918734⑈ 302532002⑆ 000070⑈ 29

YES Prosperity BUSINESS

VALID FOR THREE MONTHS FROM THE DATE OF ISSUE

YES BANK Ltd., O-19A, GROUND FLOOR, ASHOK MARG,
C-SCHEME, JAIPUR 302001
IFS CODE : YESB0000024

Payable At Par At All Branches of YES BANK Ltd.

Date: 27072026 (DDMMYYYY)

Pay Secretary JDA Jaipur ~~or Bearer~~ या धारक को

Rupees रुपये Forty Eight Lakh Twenty Eight Thousand Seven hundred Nineteen only अदा करें ₹ 4828719/- Paisa

CURRENT
A/c No. खाता क्र. 002482100000029

UTILITY FORMS PVT. LTD. / CTS - 2010

YES BANK

For CHORDIA BUILDCON PRIVATE LIMITED

Vinay Chordia

Authorised Signatories

Please sign above

⑈918735⑈ 302532002⑆ 000070⑈ 29

SHEET NO-01

अनुमोदित

उपनगर नियोजक (BP) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक भवन मानचित्र समिति जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

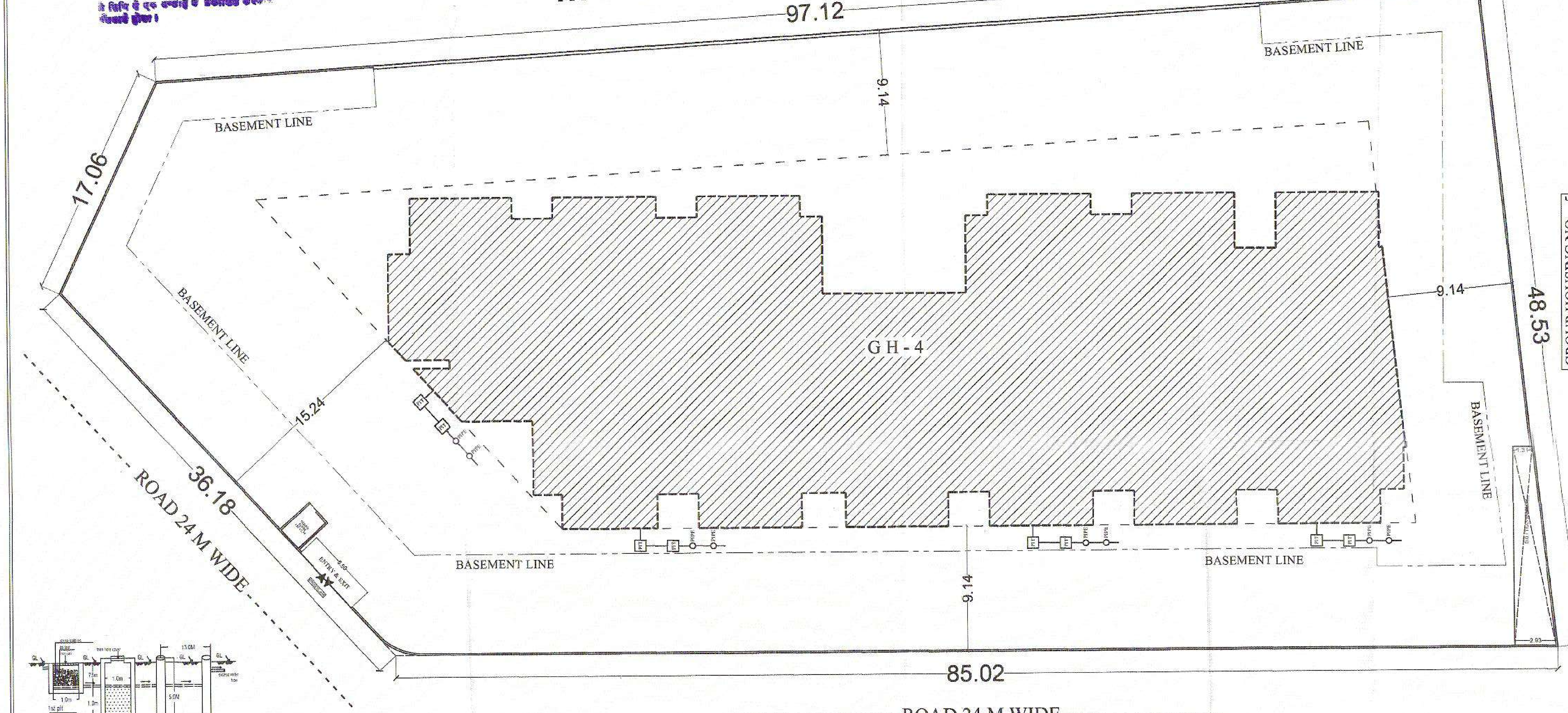

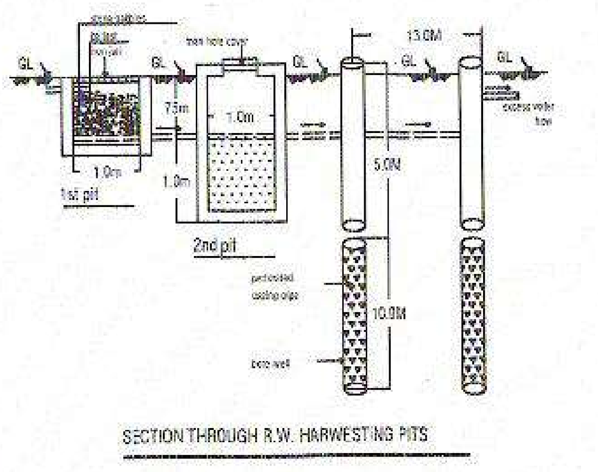

SITE PLAN & RAIN WATER HARVESTING PLAN

SCALE : 1:200

S.NO.	REFERENCE :-
1.	PLOT AREA = 4479.03 SQ.MT.
2.	STANDARD B.A.R. = 4479.03 X 2.00 = 8958.06 SQ.MT.
3.	PROPOSED B.A.R. = 19017.89 SQ.MT. (4.24) PROPOSED ADDITIONAL B.A.R. = (19017.89) - (8958.06) = 10059.83 SQ.MT.
4.	PERMISSABLE GROUND COVERAGE = 40 % (1791.61 SQ. MT.)
5.	PROPOSED GROUND COVERAGE = 30.39 % (1361.28 SQ. MT.) 1640.39 (STILT FLOOR GROSS BUILTUP) - 244.01 (BALCONY/ OPEN TERRACE) - 35.10 (FIREESCAPE STAIRCASE) = 1361.28 Sq.Mt.
6.	REQUIRED LANDSCAPE AREA (10 %) = 447.90 SQ.MT.
7.	PROPOSED LANDSCAPE AREA (10.13 %) = 454.11 SQ.MT.
8.	PERMISSABLE HEIGHT AS PER BYE LAWS = (1.5 X ROAD WIDTH + FRONT SETBACK) = 1.5 X 24 + 15.00 = 51.00 M
9.	PROPOSED HEIGHT = PLINTH (0.45)+STILT (3.50) + 36.00 = 39.95 M +6 M (Mumty/ Machine Room) = 45.95 M
10.	E.C.U. REQUIRED :- RESIDENCIAL = 19017.89 / 115 = 165.37 + 10% (VISITOR PARKING) E.C.U. = 181.90 CAR = 137, SCOOTER = 135
11.	E.C.U. PROPOSED :- CAR = 155 , SCOOTER = 94 (186.33 E.C.U.) NUMBER OF UNITS/ FLATS = 143 CAR PARKING (THROUGH DRIVEWAY) = 143 CAR PARKING (Back TO Back) = 12
13.	CLUB AREA REQUIRED ON STILT FLOOR:- REQUIRED MINIMUM 2% OF TOTAL PROPOSED B.A.R. (380.35 SQ.MT.) OR 50 SQ.MT. (WHICHEVER IS LESS) MAXIMUM 5% OF TOTAL PROPOSED B.A.R. = 950.89 SQ. MT . PROPOSED CLUB ON STILT = 468.34 SQ.MT. (2.46 %)
14.	MAXIMUM FACILITIES ON STILT FLOOR (30% OF STILT FLOOR AREA)= 30% OF 1640.39 SQ.MT. = 492.11 SQ.MT. PROPOSED FACILITIES ON STILT FLOOR =468.34 SQ.MT. (28.55 %)

PROPOSED E.C.U.	CAR.	SCOOTERS
BASEMENT	79	54
OPEN TO SKY	59	03
STILT FLOOR	17	37
TOTAL	155	94
	(186.33 E.C.U.)	

(STRUCTURE)

AREA CALCULATION (AREA IN SQ. MTR.)

S.NO.	FLOOR	GROSS BUILTUP	DOUBLE HEIGHT TERRACE	REFUGE AREA	SERVICE SHAFT	FIRE ESCAPE STAIR	LIFT WELL	B.A.R.	CLUB
1	BASEMENT FLOOR STP, U.G. WATER TANK	3339.17	-	-	-	-	18.13	-	-
2	STILT FLOOR	1640.39	-	-	-	35.10	18.13	468.34	468.34
	GUARD ROOM,	6.11	-	-	-	-	-	-	-
	DG./TRANSFORMER.	30.95							
	SWIMMING POOL	184.85							
3	GROUND FLOOR	1609.64	-	-	1.24	35.10	18.13	1555.17	-
4	1st FLOOR	1685.70	76.06	-	1.24	35.10	18.13	1555.17	-
5	2nd FLOOR	1609.64	-	-	1.24	35.10	18.13	1555.17	-
6	3rd FLOOR	1685.70	76.06	-	1.24	35.10	18.13	1555.17	-
7	4th FLOOR	1609.64	-	-	1.24	35.10	18.13	1555.17	-
8	5th FLOOR	1685.70	76.06	-	1.24	35.10	18.13	1555.17	-
9	6th FLOOR	1609.64	-	-	1.24	35.10	18.13	1555.17	-
10	7th FLOOR	1685.70	188.55		1.24	35.10	18.13	1442.68	-
11	8th FLOOR	1609.64	-	-	1.24	35.10	18.13	1555.17	-
12	9th FLOOR	1685.70	76.06	-	1.24	35.10	18.13	1555.17	-
13	10th FLOOR	1609.64	-	-	1.24	35.10	18.13	1555.17	-
14	11th FLOOR	1609.64	-	-	1.24	35.10	18.13	1555.17	-
15	STAIR CASE MUMTY	112.93	-	-	-	-	-	-	-
16	TOTAL	25010.38	-	-	-	-	-	19017.89	468.34

Applicant should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction

SHRI KRISHAN ARCHITECT CA/90/25451

SCALE = 1:100

PROJECT :-	OWNER	ARCHITECT :-
PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT GROUP HOUSING No. 4,CHORDIA CITY AJMER ROAD, JAIPUR	Chordia Buildcon Pvt. Ltd Authorised Signatory	SPACE GRID C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG, BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE, JAIPUR-302015 PH-09314918766,0141-4005606 (O) Email:-info.spacegrid@gmail.com

BASEMENT PLAN

SHRI KRISHAN
ARCHITECT
CA/98/25451

SCALE = 1:100

PROJECT :-
PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT
GROUP HOUSING No. 4,CHORDIA CITY AJMER ROAD, JAIPUR

OWNER

ARCHITECT :-
SPACE GRID
C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG,
BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015
PH-09314918766,0141-4005506 (0)
Email:-info.spacegrid@gmail.com

STILT FLOOR PLAN

SCALE = 1:100

PROJECT :-	OWNER	ARCHITECT :-
PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT GROUP HOUSING No. 4, CHORDIA CITY AJMER ROAD, JAIPUR	Chordia Buildcon Pvt. Ltd. Authorised Signatory	SPACE GRID C-49, VIDYA APARTMENT, PARAS MARG, BAPU NAGAR, NEAR JANTA STORE CIRCLE, JAIPUR-302015

SHRI KRISHAN ARCHITECT

उपनगर नियोजक (BP) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

SHEET NO-04

BASEMENT CIRCULATION PLAN

SCALE = 1:100

PROJECT :-

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT
GROUP HOUSING No. 4,CHORDIA CITY AJMER ROAD, JAIPUR

OWNER

Chordia Buildcon Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

ARCHITECT :-

SPACE GRID

C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG,
BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015
PH-09314918766,0141-4005506 (O)
Email:-info.spacegrid@gmail.com

STILT FLOOR CIRCULATION PLAN

SCALE 1:100

PROJECT :-
PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT
GROUP HOUSING No. 4,CHORDIA CITY AJMER ROAD, JAIPUR

OWNER
Chordia Buildcon Pvt. Ltd
Authorised Signatory

ARCHITECT :-
SPACE GRID
C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG,
BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015
PH-09314918766,0141-4005506 (O)
Email:-info.spacegrid@gmail.com

SHRI KRISHAN
ARCHITECT

अनुमोदित

SHEET NO-06

उपनगर नियोजन (FP)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

Applicant should get the construction checked at plinth level before proceeding to further construction

GROUND FLOOR PLAN

SHRI KRISHAN
ARCHITECT

SCALE = 1:100

S E W N	PROJECT :- PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT GROUP HOUSING No. 4,CHORDIA CITY AJMER ROAD, JAIPUR	OWNER Chordia Buildcon Pvt. Ltd Authorised Signatory	ARCHITECT :- SPACE GRID C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG, BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE, JAIPUR-302015 PH-09314918766,0141-4005506 (O) Email:-info.spacegrid@gmail.com

अनुमोदित

SHEET NO-07

उपनगर नियोजक (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

1st, 3rd, 5th, 9th FLOOR PLAN

SHRI KRISHAN
ARCHITECT

SCALE = 1:100

PROJECT :-
PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT
GROUP HOUSING No. 4,CHORDIA CITY AJMER ROAD, JAIPUR

OWNER
Chordia Buildcon Pvt. Ltd
Authorised Signatory

ARCHITECT :-
SPACE GRID
C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG,
BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015
PH-09314916766,0141-4005506 (O)
Email:-info.spacegrid@gmail.com

SHEET NO-08

अनुमोदित
उपनगर नियोजन (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

construction checked at plinth level before proceeding for further construction

2nd, 4th, 6th, 8th, 10th FLOOR PLAN

(STRUCTURE)

SHRI KRISHAN
ARCHITECT
CA/98/25451

SCALE = 1:100

	PROJECT :-	OWNER	ARCHITECT :-
S / E W / N	PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT GROUP HOUSING No. 4,CHORDIA CITY AJMER ROAD, JAIPUR	Chordia Buildcon Pvt. Ltd. Authorised Signatory	SPACE GRID C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG, BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE, JAIPUR-302015 PH-09314916766,0141-4005506 (O) Email:-info.spacegrid@gmail.com

अनुमोदित

SHEET NO-09

उपनगर नियोजन (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

construction checked at plinth level before proceeding for further construction

7th FLOOR PLAN

SHRI KRISHAN
ARCHITECT
CA/98/25451

SCALE = 1:100

PROJECT :-
PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT
GROUP HOUSING No. 4, CHORDIA CITY AJMER ROAD, JAIPUR

OWNER
Chordia Buildcon Pvt. Ltd.
Authorised Signatory

ARCHITECT :-
SPACE GRID
C-49, VIDYA APARTMENT, PARAS MARG,
BAPU NAGAR, NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015
PH-09314918766, 0141-4005506 (O)
Email:-info.spacegrid@gmail.com

अनुमोदित

SHEET NO-10

उपनगर नियोजक (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

applicant should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction

29/11/24
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

11th FLOOR PLAN

[illegible] STRUCTURE) [illegible]

[illegible] Prominently display [illegible]

SHRI KRISHAN
ARCHITECT
CA/99/25451

SCALE = 1:100

	PROJECT :-	OWNER	ARCHITECT :-
S E W N	PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT GROUP HOUSING No. 4,CHORDIA CITY AJMER ROAD, JAIPUR	Chordia Buildcon Pvt. Ltd Authorised Signatory	SPACE GRID C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG, BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE, JAIPUR-302015 PH-09314918766,0141-4005506 (O) Email:-info.spacegrid@gmail.com

अनुमोदित

SHEET NO-11

उपनगर नियोजन (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

construction checked at plinth level before proceeding further construction

TERRACE PLAN

SHRI KRISHAN
ARCHITECT

SCALE = 1:100

	PROJECT :-	OWNER	ARCHITECT :-
S E W N	PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT GROUP HOUSING No. 4,CHORDIA CITY AJMER ROAD, JAIPUR	Chordia Buildcon Pvt. Ltd. Authorised Signatory	SPACE GRID C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG, BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE, JAIPUR-302015 PH-09314918766,0141-4005506 (O) Email:-info.spacegrid@gmail.com

SHEET NO-12

अनुमोदित

उपनगर नियोजन (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

NORTH SIDE ELEVATION

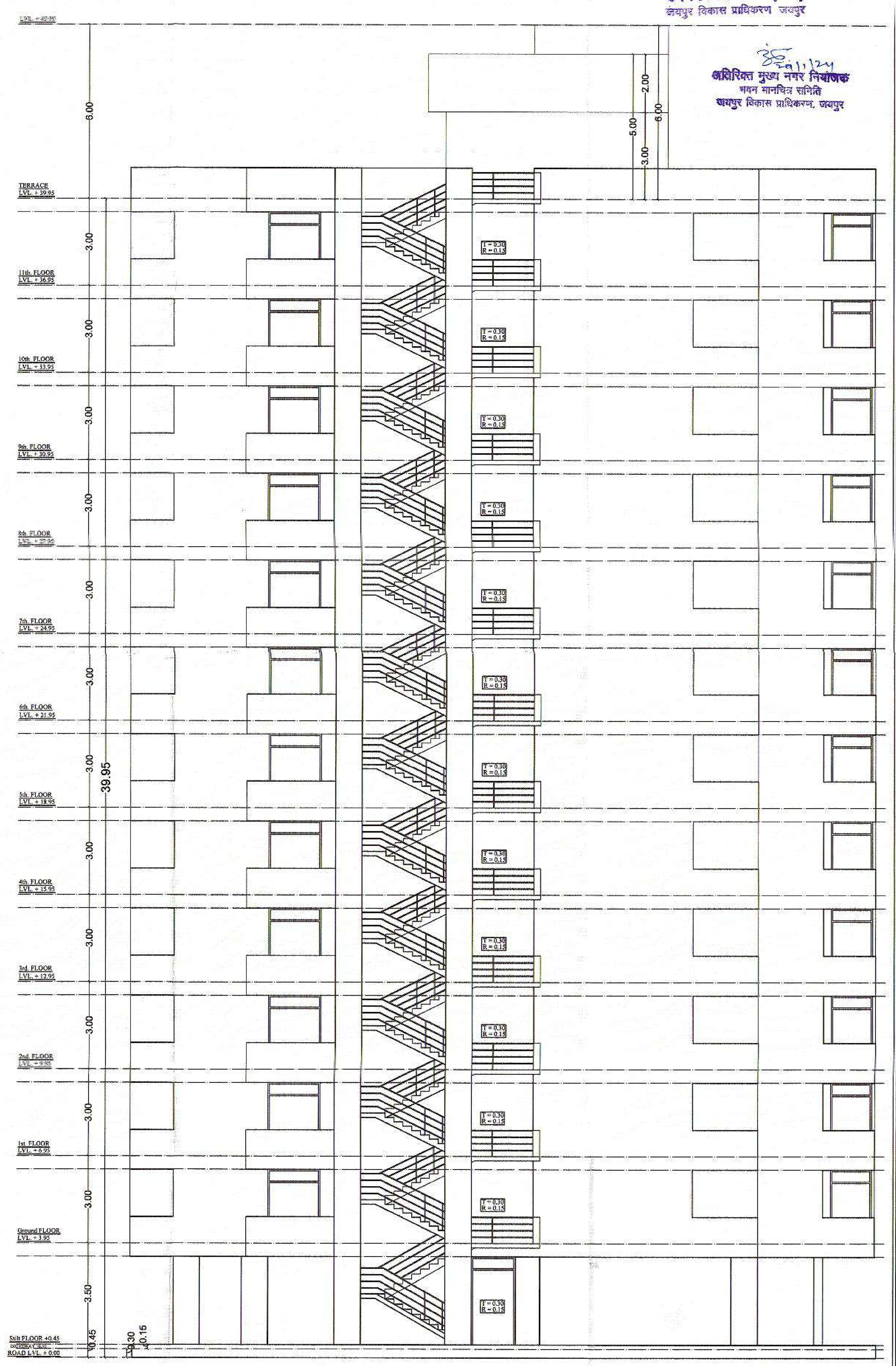

WEST SIDE ELEVATION

SHRI KRISHAN
ARCHITECT
CA/98/25451

SCALE = 1:100

PROJECT :-
PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT
GROUP HOUSING No. 4,CHORDIA CITY AJMER ROAD, JAIPUR

OWNER
Chordia Buildcon Pvt. Ltd
Authorised Signatory

ARCHITECT :-
SPACE GRID
C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG,
BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015
PH-09314918766,0141-4005506 (O)
Email:-info.spacegrid@gmail.com

SHEET NO-13

अनुमोदित

उपनगर नियोजन (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

construction checked at plinth level before proceeding for further constructions

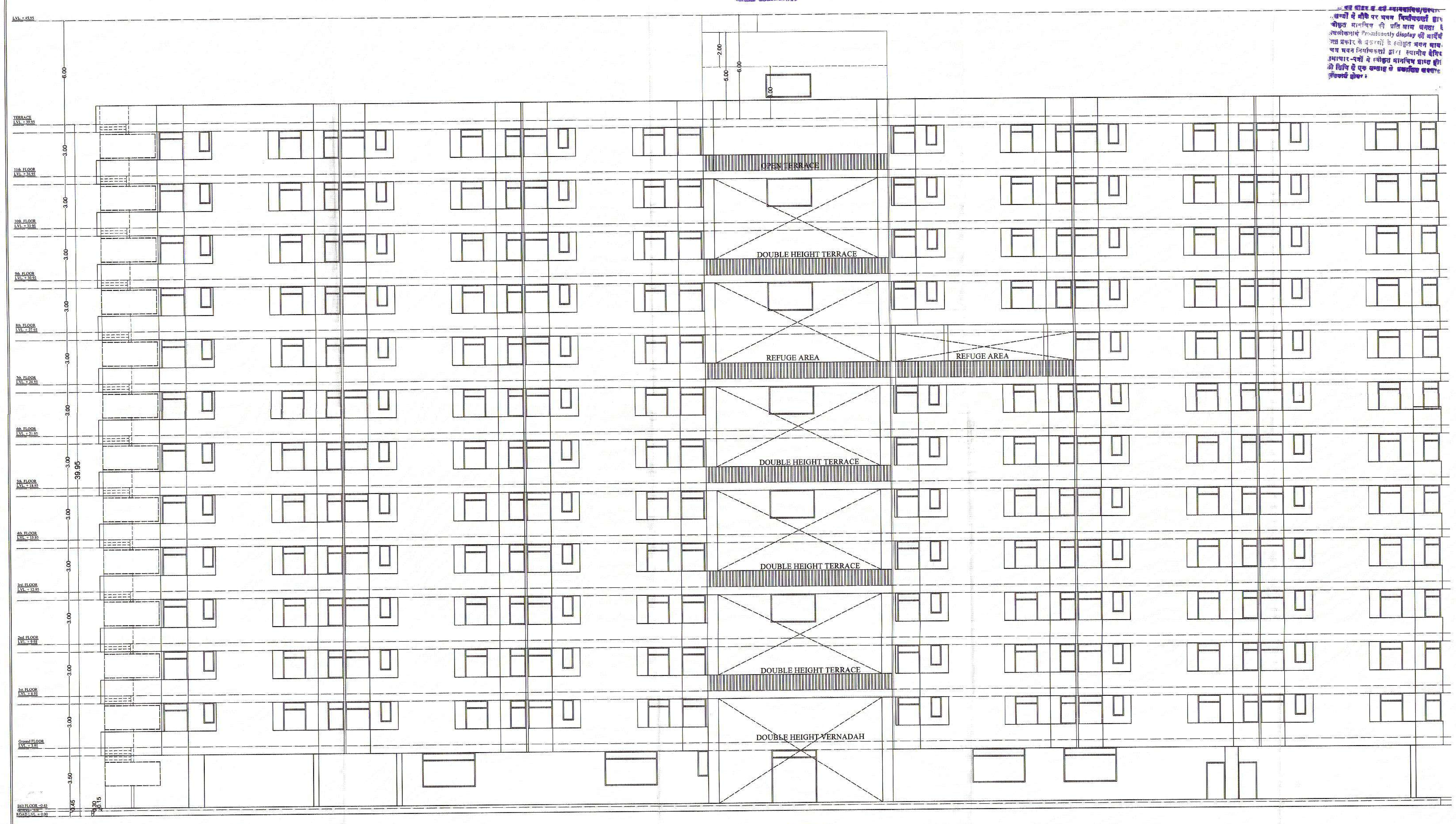

SOUTH SIDE ELEVATION

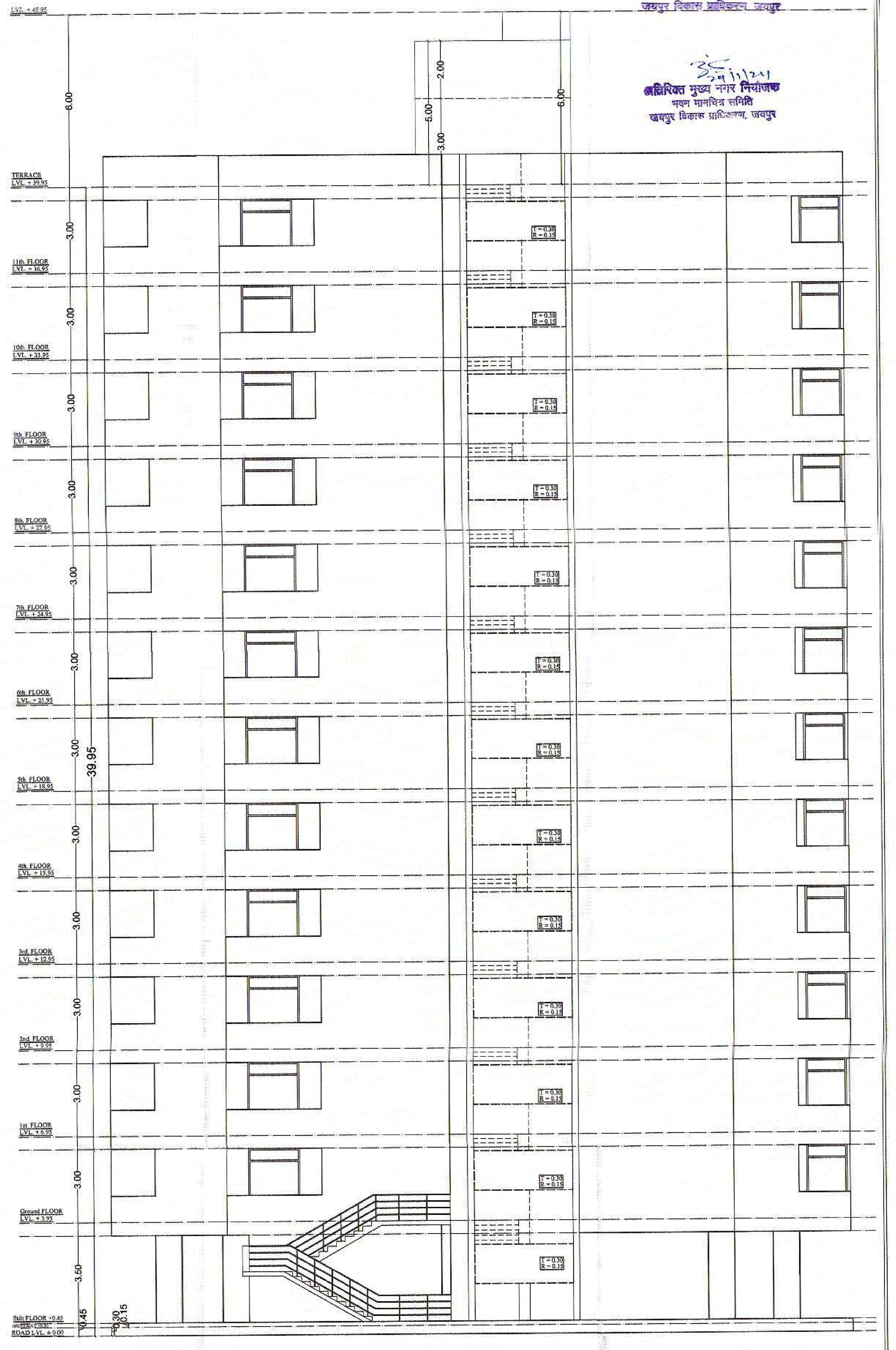

EAST SIDE ELEVATION

SHRI KRISHAN
ARCHITECT

SCALE = 1:100

PROJECT :-	OWNER	ARCHITECT :-
PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT GROUP HOUSING No. 4,CHORDIA CITY AJMER ROAD, JAIPUR	Chordia Buildcon Pvt. Ltd. Authorised Signatory	SPACE GRID C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG, BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE, JAIPUR-302015 PH-09314918766,0141-4005506 (O) Email:-info.spacegrid@gmail.com

SHEET NO-14

अनुमोदित

applicant should get the construction checked at plinth level before proceeding to further construction

उपनगर नियोजन (SP)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

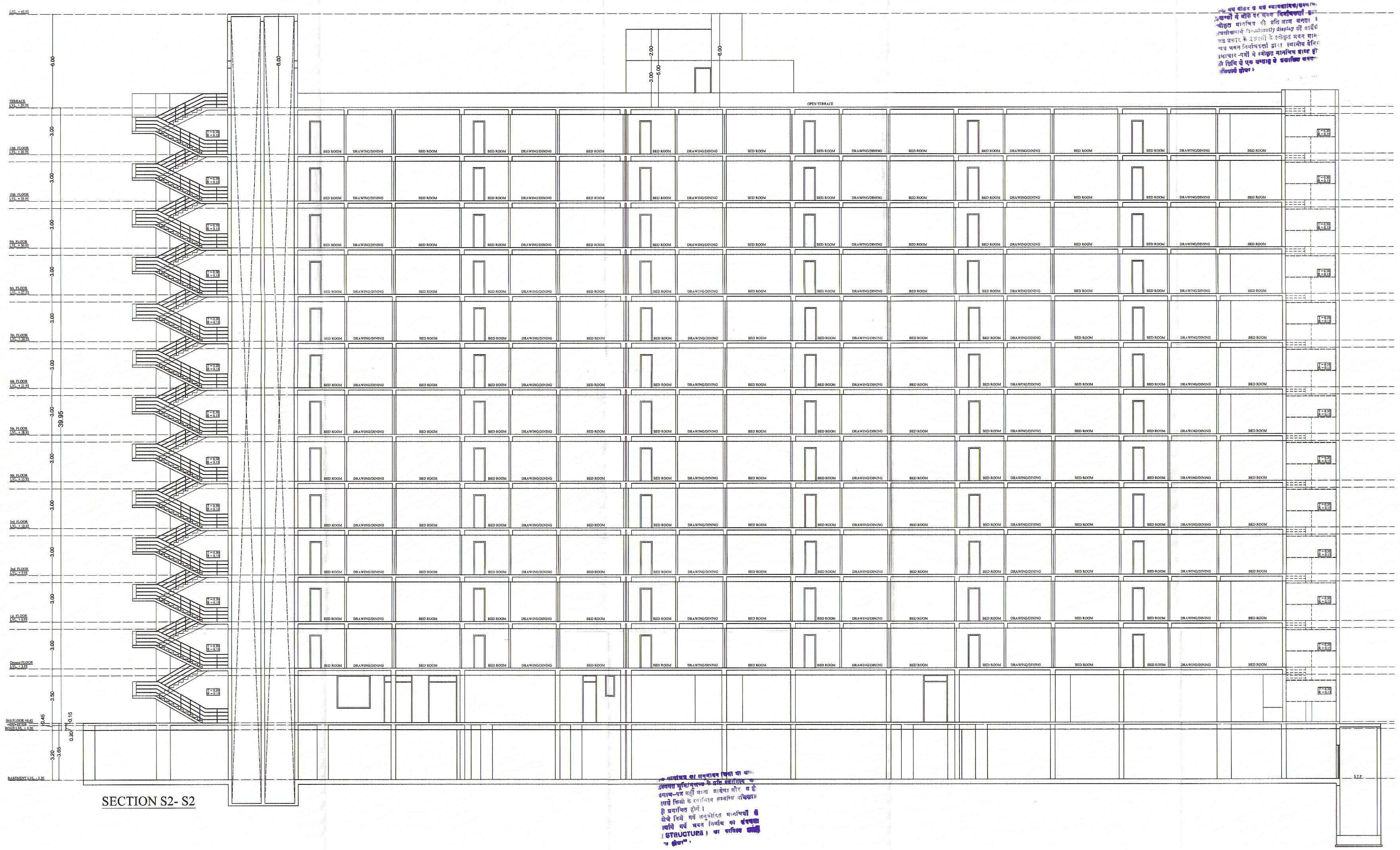

SECTION S2- S2

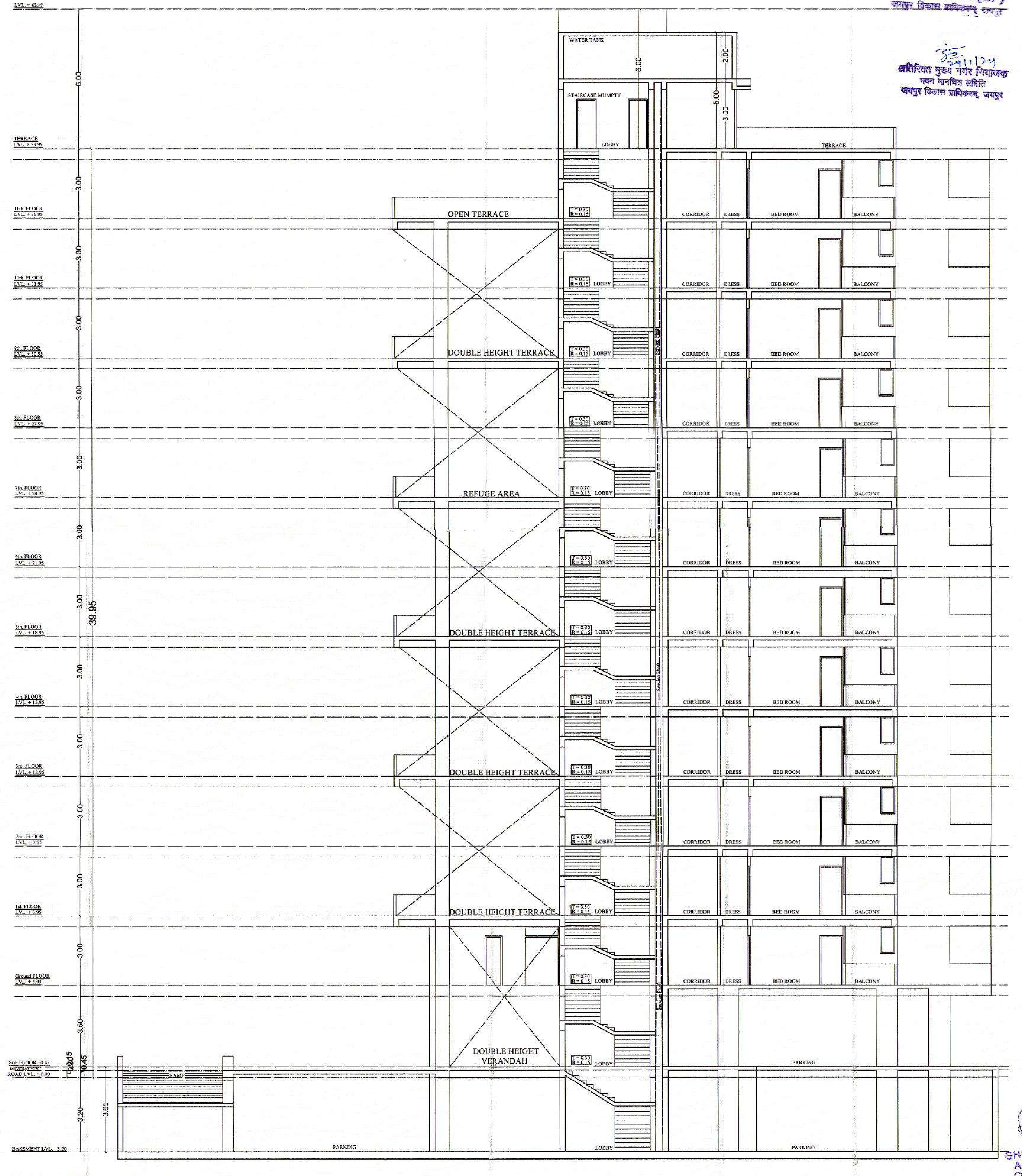

SECTION S1- S1

SCALE = 1:100

SHRI KRISHAN ARCHITECT

PROJECT :-

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT
GROUP HOUSING No. 4,CHORDIA CITY AJMER ROAD, JAIPUR

OWNER

Authorised Signatory

ARCHITECT :-

SPACE GRID
C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG,
BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015
PH-09314918766,0141-4005506 (O)
Email:-info.spacegrid@gmail.com